बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

:: संकल्प ::

पटना 15, दिनांक– ....

दिनांक 14.1.2017 को सारण जिला क्षेत्र अवस्थित सबलपुर दियारा में आयोजित पतंगोत्सव के पश्चात् सबलपुर दियारा से गाँधी घाट, पटना यात्रियों को लेकर आ रही नाव के दुर्घटनाग्रस्त होने की जाँच उच्च स्तरीय द्विसदस्यीय जाँच समिति द्वारा की गयी । समर्पित जाँच प्रतिवेदन में श्री मदन कुमार, कोटि क्रमांक–904/2011, अनुमंडल पदाधिकारी, सोनपुर को गंभीर प्रशासनिक चूक एवं विधि–व्यवस्था में लापरवाही का दोषी पाया गया ।

2. उक्त आरोप के लिए श्री मदन कुमार को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 9 (1) (क) के प्रावधान के तहत तात्कालिक प्रभाव से अगले आदेश तक के लिए निलंबित किया जाता है ।

3. निलंबन अवधि में श्री कुमार को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 10 के तहत अनुमान्य दर से जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा ।

4. निलंबन अवधि में श्री कुमार का मुख्यालय प्रमंडलीय आयुक्त का कार्यालय, सारण (छपरा) निर्धारित किया जाता है ।

आदेशः– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/–

(केशव कुमार सिंह)

सरकार के संयुक्त सचिव ।

ज्ञापांक– 02/आरोप– 01– 07/2017, सा0प्र0 2292 पटना, दिनांक– 24/2/2017

निबंधित
स्पीड पोस्ट

प्रतिलिपि– आयुक्त, सारण प्रमंडल, सारण, छपरा/ जिला पदाधिकारी, सारण, छपरा/ कोषागार पदाधिकारी, सारण, छपरा/ वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना/श्री मदन कुमार, (बि॰प्र॰से॰) कोटि क्रमांक–904/2011, तत्कालीन अनुमंडल पदाधिकारी, सोनपुर, सारण सम्प्रति निलंबित एवं मुख्यालय– प्रमंडलीय आयुक्त का कार्यालय, सारण, छपरा / उप सचिव, प्रभारी प्रशाखा–12, 14, चारित्री कोषांग/ आई0टी0 मौनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

2. विशेष सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना को उनके गै॰स॰प्रे॰सं॰–18 दिनांक 24.2.2017 के आलोक में सूचनार्थ प्रेषित ।

24/2/2017

सरकार के संयुक्त सचिव ।